भारत सरकार

पोत परिवहन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **2780** जिसका उत्तर

गुरूवार, 05 **दिसम्बर**, 2019/14 अग्रहायण, 1941 (शक) को दिया जाना है

नाविकों की भर्ती

2780. श्री रतनसिंह मगनसिंह राठौड़ः

श्री विनायक भाऊराव राऊतः

श्री ए.के.पी. चिनराजः

श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः

श्री हेमन्त पाटिलः

क्या **पोत परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अनुचित रजिस्ट्रियों की प्रथा के कारण नाविकों की भर्ती में कठिनाइयां आई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में तथा नाविकों की दोषपूर्ण भर्ती को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 3,762 नाविकों ने कक्षा में जाए बिना ही कथित रूप से अर्हता प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिए है;

(घ) यदि हां, तो क्या पोत परिवहन महानिदेशालय (डीजीएस) ने इन कथित 3,762 नाविकों और उन संस्थानों के विरुद्ध कार्रवाई की है जिन्होंने प्रमाणपत्र दिए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा वैश्विक पोत परिवहन उद्योग को गुणवत्तापूर्ण नाविकों के आपूर्तिकर्ता रूप में अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए है?

उत्तर

पोत परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री मनसुख मांडविया)

(क) और (ख) : जी, हां। वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 और वाणिज्यिक पोत परिवहन (भर्ती एवं नियोजन सेवा) नियमावली, 2016 के अनुसार भारतीय नाविकों की पोत पर ऑन बोर्ड भर्ती एवं नियोजन के लिए भर्ती एवं नियोजन सेवाएं पंजीकृत एवं लाइसेंसीकृत की गई हैं। तथापि, नौवहन महानिदेशालय (डीजीएस) में अनेक ऐसे मामले प्राप्त हुए हैं जिनमें अज्ञात/लाइसेंस विहीन भर्ती एजेंटों द्वारा विदेशी ध्वज पोतों पर ऑन बोर्ड भर्ती एवं नियोजित किए गए भारतीय नाविकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

ऐसी घटनाओं से बचने के लिए दिनांक 11.08.2017 को एक ई-माइग्रेट प्रणाली शुरू की गई, जिसमें केवल पंजीकृत भर्ती एवं नियोजन सेवाओं (आरपीएस) को नाविकों के आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। इमीग्रेशन प्राधिकारी इन आंकड़ों से इस बात का पता लगा सकते हैं कि विदेश जाने वाले नाविकों की भर्ती प्राधिकृत भर्ती एवं नियोजन सेवा (आरपीएस) एजेटों द्वारा की गई है या नहीं। ऐसा सत्यापन हो जाने के बाद ही इमीग्रेशन प्राधिकारी नाविकों को इमीग्रेशन चैनल से गुजरने की अनुमति देंगे। उपर्युक्त के अलावा, इस संबंध में निम्नलिखित उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं :

- डीजीएस द्वारा समाचार पत्र में एक एडवाइजरी जारी की गई थी जिसमें लाइसेंसधारी /पंजीकृत आरपीएस निकायों अथवा भारतीय पोत स्वामियों के माध्यम से ही भर्ती के महत्व पर जोर दिया गया था। आरपीएस निकायों की अद्यतन सूची डीजीएस की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
- नए सरलीकृत सतत कार्य प्रमाणपत्र (सीडीसी) नियमों को वर्ष 2017 में प्रवर्तित करना और सीडीसी को जारी करने की संपूर्ण प्रक्रिया को कागज रहित एवं ऑनलाइन बनाना।
- भारतीय पोत स्वामियों और पंजीकृत आरपीएस द्वारा नौकरी पर लगाने और कार्यमुक्त करने संबंधी विवरणों का डीजीएस ई-गवर्नेंस प्रणाली पर ई-सबमिशन करने की शुरूआत करना।
- संशोधित वाणिज्यिक पोत परिवहन (भर्ती एवं नियोजन) नियमावली, 2016 को लागू कर दिया गया है, जिसके तहत आरपीएस नियमों को समुद्री श्रम कन्वेंशन (एमएलसी), 2006 विनियमों के समान बना दिया गया है।
- डीजीएस ने अपनी ई-गवर्नेंस प्रणाली में पंजीकृत सभी भारतीय नाविकों को व्यक्तिगत ई-मेल भी भेजी है जिसमें उनको यह सलाह दी गई है कि गैर-डीजीएस पंजीकृत निकायों से समुद्री भर्ती और नियोजन स्वीकार न करें।
- डीजीएस अनुमोदित समुद्री प्रशिक्षण संस्थानों से यह अनुरोध किया गया है कि अपने छात्रों के हित के लिए डीजीएस के उक्त ई-मेल को अपने नोटिस बोर्ड/वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।

(ग) और (घ) जी, हां। यह संज्ञान में आया है कि कुछ समुद्री प्रशिक्षण संस्थानों (एमटीआई) ने वास्तविक उपस्थिति के बिना और अपेक्षित प्रशिक्षण प्रदान किए बिना कुछ अभ्यर्थियों को पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र जारी किए हैं। कुछ मामलों में पाठ्यक्रम प्रभारी और प्रधान अध्यापक/संस्थान के अध्यक्ष के हस्ताक्षरों को प्रमाणपत्रों पर स्कैन किया गया है और ये वास्तविक रूप से हस्ताक्षरित नहीं है।

डीजीएस ने फर्जी प्रमाणपत्र जारी करने में संलिप्त 4 एमटीआई को कारण बताओं नोटिस (एससीएन) जारी किया है। इन 4 समुद्री प्रशिक्षण संस्थानों में से एक एमटीआई ने औचक निरीक्षण के बाद संस्थान को स्वैच्छिक रूप से बंद करने का आवेदन किया है। एससीएन जारी किए गए शेष 3 एमटीआई को डीजीएस द्वारा अनुमोदित किसी भी समुद्री मॉड्यूलर पाठयक्रमों को चलाने से रोका गया है।

इसके अलावा ऐसी अनियमितताओं को जिन पाठयक्रमों में पाया गया है उनकी पहचान की गई थी और इन पाठयक्रमों में दाखिला लेने वाले अभ्यर्थियों को प्रमाणपत्रों की प्रमाणिकता सत्यापित होने तक ई-माइग्रेट प्रणाली का प्रयोग करते हुए यात्रा करने से रोका गया है।

महानिदेशालय द्वारा दिनांक 28.9.2019 को सभी अभ्यर्थियों को कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किए गए थे। एससीएन उनके दिए गए पतों पर स्पीड पोस्ट, ईमेल द्वारा भेजे गए थे और नाविक प्रोफाइल पर प्रकाशित किए गए थे। इन प्रत्येक अभ्यर्थियों/नाविकों से एससीएन के जारी होने की तारीख से 15 दिन के भीतर (डाटा सहित) उत्तर देने और उनके द्वारा उस संस्थान में उक्त पाठयक्रम पढ़े जाने के संबंध में वास्तविक प्रमाण प्रस्तुत करने को कहा गया था।

डीजीएस को लगभग 1300 उत्तर प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 263 ऐसे अभ्यर्थियों के लिए अंतिम आदेश पारित किया गया है जिन्होंने कक्षा में पूर्ण रूप से उपस्थित हुए बिना प्रमाण पत्र प्राप्त करने संबंधी स्पष्ट उत्तर दिया है।

(ड.) भारत सरकार द्वारा समुद्री प्रशिक्षण के मानकों में सुधार, ऑन बोर्ड प्रशिक्षण अवसरों में वृद्धि, परीक्षा एवं प्रमाणन प्रणाली में सुधार तथा व्यापार करने में आसानी की सुविधा प्रदान करने के लिए किए गए अनेक उपायों के कारण भारतीय नाविकों की संख्या में वृद्धि संभव हो सकी है।

अधिकारियों और रेटिंग के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को वर्ष, 2016 में न केवल वैश्विक मानकों को प्राप्त करने के लिए, बल्कि विदेशी नियोक्ताओं की अपेक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्यों से भी संशोधित किया गया था। निजी क्षेत्र में कार्य कर रही प्रशिक्षण संस्थाओं को विनियमित करने के लिए अवसंरचना, प्रवेश दिए जाने वाले छात्रों की गुणवत्ता, फैकल्टी की गुणवत्ता, शिक्षा विज्ञान, परीक्षा में प्रदर्शन, ऑन बोर्ड प्रशिक्षण जैसे विभिन्न पैरामीटरों के संबंध में संस्थान की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए 'व्यापक निरीक्षण कार्यक्रम' (सीआईपी) पद्धति को तैयार किया गया है। इन संस्थानों की पाठ्यक्रम सामग्री मानकीकृत करने के लिए नौवहन महानिदेशालय (डीजीएस) द्वारा एक ई-लर्निंग मॉड्यूल तैयार किया गया है और सभी भारतीय नाविकों को यह

मॉड्यूल नि:शुल्क उपलब्ध कराया गया है ताकि परीक्षा देने से पहले वे अपने ज्ञान और कौशल का उन्नयन कर सके।

समुद्री प्रशिक्षण में कक्षा में तथा पोत पर ऑन-बोर्ड अनिवार्य प्रशिक्षण अपेक्षित है, जिसके बिना किसी कैडेट (प्रशिक्षु) को मर्चेंट नेवी में नौकरी पाने के लिए समुद्री प्रशासन द्वारा प्रमाणित नहीं किया जा सकता है। हालांकि, भारत ने मर्चेंट नेवी के लिए कक्षा में दिए जाने वाले प्रशिक्षण हेतु बड़ी क्षमता सृजित की है, फिर भी कक्षा के प्रशिक्षण के लिए भर्ती हुए छात्रों को पोत पर प्रशिक्षण प्रदान करने में एक प्रमुख अवरोध रहा है। विनियामक द्वारा प्रशिक्षण संस्थाओं को न केवल कक्षा प्रशिक्षण के लिए, बल्कि छात्रों के ऑन-बोर्ड पोत प्रशिक्षण के लिए भी जिम्मेदार ठहरा कर एक नीतिगत परिवर्तन किया गया था। इसके अलावा, अधिक से अधिक ऑन बोर्ड प्रशिक्षण स्लोट जारी करने के लिए अधिकारियों और रेटिंगस को टगों और अपटत जलयानों पर भी ऑन बोर्ड प्रशिक्षण की अनुमति देने के संबंध में निर्णय लिया गया था। इन दो पहलों से लगभग 4000 प्रशिक्षुओं के लिए अतिरिक्त बर्थें खुली हैं।

सरकार ने भारतीय सतत कार्य प्रमाणपत्र (सीडीसी), प्राप्त करने के लिए प्रमुख विनियामक छूट प्रदान की है, जिसे रोजगार के उद्देश्यों से किसी जलयान पर बोर्ड करने से पहले प्राप्त करना आवश्यक है। नई उदारीकृत सीडीसी प्रणाली वर्ष, 2017 में शुरू की गई थी जिसमें 14 दिनों के आधारभूत समुद्री पाठ्यक्रम पूरा करने वाले 10वीं पास भारतीय नागरिकों को भारतीय सीडीसी प्राप्त करने की अनुमति दी गई है। इससे पहले सीडीसी प्राप्त करने के लिए उनको कम-से-कम छह महीने का प्रशिक्षण पूरा किया जाना आवश्यक था। समुद्री यात्रा में पूर्व अनुभव रखने वाले कई नाविक भारतीय सीडीसी प्राप्त करने में सफल हुए हैं। नौवहन महानिदेशालय ने वर्ष 2018-19 में ही नए सीडीसी नियमों के तहत 70,000 से अधिक सीडीसी जारी किए हैं।

सरकार ने समुद्री प्रशासन के क्षेत्र में ई-गवर्नेंस पहलें लागू करने के लिए काफी जोर दिया है और आज सीडीसी प्राप्त करने, प्रशिक्षण, क्षमता प्रमाणपत्र जारी करने, परीक्षा और साक्षात्कारों के लिए आवेदन करने, चिकित्सा प्रमाणपत्र प्राप्त करने, भर्ती और नियोजन सेवा तथा किसी विदेशी ध्वज पोत पर बोर्ड करने के लिए अप्रवासन आदि की पूरी प्रक्रिया को ऑन-लाइन कर दिया गया है।

भारतीय नाविकों की संख्या में हुई लगातार वृद्धि, समुद्री प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार लाने, प्रशिक्षण क्षमता में वृद्धि करने, प्रशिक्षण बर्थों की संख्या में वृद्धि करने, पाठ्यक्रम तथा पाठ्य-सामग्री का मानकीकरण करने, परीक्षा प्रणाली में सुधार लाने तथा खासकर सरलीकृत प्रक्रियाओं और ई-गवर्नेंस मॉड्यूल के द्वारा व्यापार करने में आसानी लाने के लिए सरकार के निर्णयों के समेकित प्रभाव के कारण हुई है।

*****